

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF EXPENDITURE

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION No. 252

TO BE ANSWERED ON TUESDAY, DECEMBER 2, 2025/11 AGRAHAYANA, 1947 (SAKA)

CONSTITUTION OF EIGHTH PAY COMMISSION

252 SHRI JAVED ALI KHAN:
SHRI RAMJI LAL SUMAN:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

- (a) whether Government has issued notification for constitution of Eight Central Pay Commission (CPC) recently, the details thereof along with Terms of References (TOR);
- (b) whether Government would merge the existing DA/DR with basic pay as an immediate relief measure for Central Government employees/pensioners, if so, the details thereof, if not, the reasons therefor; and
- (c) whether revision of pension of Central Government employees is not proposed under eight CPC, the reason therefor?

ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)

- (a) Yes, the Government has notified Resolution dated 03.11.2025 for constitution of Eighth Central Pay Commission (CPC) along-with Terms of Reference (ToR). A copy of Resolution is enclosed at Annexure-I.
- (b) No proposal regarding merger of the existing Dearness Allowance with the Basic Pay is under consideration with the Government at present.
- (c) The Eighth CPC will make its recommendations on the various issues viz. Pay, Allowances, Pension, etc. of the Central Government employees.

Resolution No. 01-01/2025-E.III(A) dated 03.11.2025 as referred to in reply to part (a) of the Rajya Sabha Unstarred Question No. 252 for answer on 02.12.2025.

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Expenditure)****RESOLUTION**

New Delhi, the 3rd November, 2025

F. No. 01-01/2025-E.III(A).—The Government of India have decided to appoint the Eighth Central Pay Commission comprising of the following:-

- | | | |
|----|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Chairperson | - Smt. Justice Ranjana Prakash Desai |
| 2. | Member (<i>Part-Time</i>) | - Prof. Pulak Ghosh |
| 3. | Member-Secretary | - Shri Pankaj Jain |

2. The terms of reference of the Commission will be as follows:-

- a) To examine and recommend changes that are desirable and feasible in the emoluments including pay, allowances, and other facilities/ benefits, in cash or kind, having regard to rationalization, contemporary functional requirements and the specialized needs of various Departments, agencies and services in respect of following categories of employees:

- (i) Central Government employees — industrial and non-industrial;
- (ii) Personnel belonging to the All India Services;
- (iii) Personnel belonging to the Defence Forces;
- (iv) Personnel of the Union Territories;
- (v) Officers and employees of the Indian Audit and Accounts Department;
- (vi) Members of the regulatory bodies (excluding the RBI) set up under the Acts of Parliament;
- (vii) Officers and employees of the Supreme Court;
- (viii) Officers and employees of the High Courts whose expenditure is borne by the Union Territories; and
- (ix) Judicial officers of the subordinate courts in the Union Territories.

[**Note:** In respect of judicial officers, the Commission shall adhere to the principle enunciated by the Supreme Court in its Judgement dated 24th August, 1993 in All India Judges' Association and Others V/s Union of India and Others, viz. that there shall be no link between service conditions of judges and administrative executive and that the service conditions of judges have to meet the special needs of the judiciary].

- (b) To work out an emolument structure conducive to attracting talent to Government service, promoting efficiency, accountability and responsibility in the work culture.
- (c) To examine the existing schemes of bonus with a view to improving performance and productivity and make recommendations on the general principles, financial parameters, productivity and performance-linked parameters for an appropriate incentive Scheme to reward excellence in productivity and performance.
- (d) To review the existing allowances and conditions of their admissibility and recommend their rationalization keeping in view the multiplicity of allowances.
- (e)
 - (i) To review the Death-cum-Retirement Gratuity of employees borne on the National Pension System (including Unified Pension Scheme) and make recommendations thereon.
 - (ii) To review the Death-cum-Retirement Gratuity and pensions of employees not borne on the National Pension System (including Unified Pension Scheme) and make recommendations thereon keeping in view Para f(iii) below.
- (f) To make recommendations on the above, keeping in view:
 - (i) The economic conditions in the country and the need for fiscal prudence;
 - (ii) The need to ensure that adequate resources are available for developmental expenditure and welfare measures;

- (iii) The unfunded cost of non-contributory pension schemes;
- (iv) The likely impact of the recommendations on the finances of the State Governments which usually adopt the recommendations with some modifications; and
- (v) The prevailing emolument structure, benefits and working conditions available to employees of Central Public Sector Undertakings and private sector.

3. The Commission will devise its own procedure and may appoint such Advisors, Institutional Consultants and Experts, as it may consider necessary for any particular purpose. It may call for such information and take such evidence, as it may consider necessary. Ministries and Departments of Government of India shall furnish such information and documents and other assistance as may be required by the Commission. The Government of India trusts that State Governments, Service Associations and others concerned will extend to the Commission their fullest cooperation and assistance.

4. The Commission will have its headquarters in Delhi.

5. The Commission will make its recommendations within 18 months of the date of its constitution. It may consider, if necessary, sending interim reports on any of the matters as and when the recommendations are finalized.

V. VUALNAM, Secy.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries/Departments of the Government of India, State Governments/ Administrations of Union Territories and all others concerned.

V. VUALNAM, Secy.

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

राज्य सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 252

मंगलवार, 02 दिसंबर, 2025/11 अग्रहायण, 1947 (शक)

आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन

252. श्री जावेद अली खान:

श्री रामजी लाल सुमन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सरकार ने आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के गठन के लिए अधिसूचना जारी की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा विचारार्थ विषय (टीओआर) क्या हैं;

(ख) क्या सरकार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को त्वरित राहत उपाय के रूप में वर्तमान महंगाई भत्ता/महंगाई राहत (डीए/डीआर) को मूल वेतन में सम्मिलित करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) क्या आठवें वेतन आयोग के अंतर्गत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन का प्रस्ताव नहीं है, यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): जी हां, सरकार ने आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए संकल्प को विचारार्थ विषय (टीओआर) सहित दिनांक 03.11.2025 को अधिसूचित कर दिया है। अधिसूचना की प्रति अनुबंध-1 में संलग्न है।

(ख): वर्तमान में मूल वेतन में मौजूदा महंगाई भत्ते के विलय के संबंध में सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग): आठवां केन्द्रीय वेतन आयोग केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों अर्थात् वेतन, भत्ते, पेंशन आदि के संबंध में अपनी सिफारिशें देगा।

दिनांक 02.12.2025 को दिए जाने वाले राज्य सभा लिखित प्रश्न संख्या 252 के भाग (क) के उत्तर में
संदर्भित दिनांक 03.11.2025 के संकल्प सं.01-01/2025-ई.III(ए)

रजिस्ट्री सं. बी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112025-267353
CG-DL-E-03112025-267353

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 322]
No. 322]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 3, 2025/कार्तिक 12, 1947
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 3, 2025/KARTIKA 12, 1947

वित्त मंत्रालय
(व्यय विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2025

फा. सं. 01/01/2025- ई. III (ए).—भारत सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है,
जो निम्नानुसार है:-

- | | |
|---------------------|--|
| 1. अध्यक्ष | - श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई |
| 2. सदस्य (अंशकालिक) | - प्रो. पुलक घोष |
| 3. सदस्य-सचिव | - श्री पंकज जैन |

2. आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:

(क) कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में विभिन्न विभागों, एजेंसियों एवं सेवाओं की युक्तिसंगतता, समकालीन कार्यात्मक आवश्यकताओं और विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वेतन, भत्ते एवं अन्य

सुविधाओं/लाभों नकद अथवा वस्तु के रूप में सहित परिलब्धियों की जांच करना तथा बांछनीय और व्यवहार्य परिवर्तनों की सिफारिश करना:

- (i) केन्द्र सरकार के कर्मचारी - औद्योगिक एवं गैर-औद्योगिक;
- (ii) अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिक;
- (iii) रक्षा बलों से संबंधित कार्मिक;
- (iv) संघ राज्य क्षेत्रों के कार्मिक;
- (v) भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी;
- (vi) संसद के अधिनियमों के तहत गठित नियामक निकायों (आरबीआई को छोड़कर) के सदस्य;
- (vii) उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी;
- (viii) उच्च न्यायालयों के अधिकारी और कर्मचारी जिनपर होने वाला व्यय संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बहन किया जाता है; और
- (ix) संघ राज्य क्षेत्रों में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी।

[टिप्पणी: न्यायिक अधिकारियों के संबंध में, आयोग अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम केन्द्र सरकार और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 1993 के अपने दिए गए निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत का अनुपालन करेगा, अर्थात् न्यायाधीशों एवं प्रशासनिक कार्यपालिका की सेवा शर्तों के बीच कोई संबंध नहीं होगा और कि न्यायाधीश की सेवा शर्तों को न्यायपालिका की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।]

- (ख) सरकारी सेवा में प्रतिभाओं को आकर्षित करने, कार्य प्रणाली में दक्षता, जवाबदेही और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल परिलब्धि संरचना तैयार करना।
- (ग) निष्पादन और उत्पादकता में सुधार करने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बोनस की वर्तमान योजनाओं की जांच करना तथा उत्पादकता और निष्पादन में उत्कृष्टता को पुरस्कृत करने के लिए सामान्य सिद्धांतों, वित्तीय मापदंडों, उत्पादकता और निष्पादन संबंधी मापदंडों पर सिफारिशें करना।
- (घ) मौजूदा भत्तों और उनकी स्वीकार्यता की शर्तों की समीक्षा करना तथा भत्तों की बहुलता को ध्यान में रखते हुए उनके युक्तिकरण की सिफारिश करना।
- (ङ.)
 - (i) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एकीकृत पेंशन योजना सहित) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु - सह - सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की समीक्षा और उस पर सिफारिशें करना।
 - (ii) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एकीकृत पेंशन योजना सहित) के अंतर्गत न आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु - सह - सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और पेंशन की समीक्षा करना तथा नीचे दिए गए पैरा च(iii) को ध्यान में रखते हुए उन पर सिफारिशें करना।
- (च) निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त के संबंध में सिफारिशें करना:
 - i. देश की आर्थिक स्थिति और राजकोपीय विवेक की आवश्यकता;

- ii. यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता कि विकासात्मक व्यय एवं कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहें;
 - iii. गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर-वित्तपोषित लागत;
 - iv. उन राज्य सरकारों जो साधारणतः कुछ संशोधनों के साथ इन सिफारिशों को अंगीकार करते हैं, की वित्त व्यवस्था पर इन सिफारिशों के संभावित प्रभाव; और
 - v. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित परिलब्धि संरचना, लाभ और कार्य परिस्थितियां;
3. आयोग अपनी कार्यप्रणाली स्वयं विकसित करेगा और ऐसे सलाहकारों, संस्थागत परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकता है जिन्हें यह आयोग किसी प्रयोजन विशेष के लिए आवश्यक समझे। यह आयोग ऐसी सूचना और ऐसे साक्ष्य ले सकता है जिन्हें यह आवश्यक समझे। भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग आयोग द्वारा मांगी जाने वाली कोई सूचना और दस्तावेज तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। भारत सरकार का यह विश्वास है कि राज्य सरकारें, सेवा संघ तथा अन्य संबंधित पक्ष, आयोग को अपना संपूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे।
4. आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा।
5. आयोग, अपने गठन की तारीख से 18 माह की समयावधि के अंदर अपनी सिफारिशें देगा। आयोग, सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात्, किसी भी मामले पर, आवश्यकता पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है।

वी. वुअलनाम, सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और अन्य सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए।

वी. वुअलनाम, सचिव